भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2419

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2024

दिव्यांगजनों का कल्याण

2419. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार का विचार दिव्यांगजनों को विद्युत चालित तिपहिया देने का है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को पारित किया था जो दिनांक 19.04.2017 को लागू हुआ था। दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। उक्त अधिनियम में दिव्यांगजनों को अधिकार और हकदारियां प्रदान की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समानता का अधिकार, गैर-भेदभाव, क्रूरता और शोषण से बचाव, परिवार और समुदाय के साथ रहने का अधिकार, न्याय तक पहुंच, मतदान तक पहुंच, विधिक क्षमता, विधिक संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, कला, खेल, मनोरंजन, संस्कृति तक पहुंच तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी शामिल हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 34 में बेंचमार्क (40% या उससे अधिक) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 32 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण प्रदान करती है। इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 37 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए गरीबी उन्मूलन और विकासात्मक योजनाओं में 5% आरक्षण सुनिश्चित करती है।
यद्यपि, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत देना राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप)', 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)' और 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' तथा 'छात्रवृत्ति योजनाओं' के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(i) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप स्कीम): विभाग देश भर में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केंद्र/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र/दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के माध्यम से एडिप योजना को क्रियान्वित करता है। इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ, उन्नत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिससे दिव्यांगजनों में दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके उनकी शैक्षिक और आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। योजना के उद्देश्यों के अनुरूप ऐसे मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद, निर्माण और वितरण के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियां योजना के अंतर्गत वितरित सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की फिटिंग और फिटिंग के बाद देखभाल के लिए उपयुक्त व्यवस्था करती हैं

(ii) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के अंतर्गत, स्वैच्छिक संगठनों को बच्चों में प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी) आदि सहित दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष स्कूल सहित दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनके इष्टतम शारीरिक और संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तर तक पहुंचने और उसे बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

(iii) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ: इस योजना के अंतर्गत, सरकार दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, जैसे प्री-मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए), पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक), उच्चतम श्रेणी की शिक्षा (अधिसूचित संस्थानों में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा), राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम) और विदेश में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री/पीएचडी)।

छात्रवृत्ति राशि डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में जारी की जाती है।

(iv) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा): इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र या राज्य सरकार के तहत आने वाले स्वायत्त संगठनों / संस्थानों/विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के प्रमुख घटक हैं:-

(क) **दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण**

(ख) **कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना**

(ग) **सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)**

(घ) **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र**

(ङ) **जागरूकता सृजन एवं प्रचार योजना**

(v) **दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रव्यापी सूचीबद्ध सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के माध्यम से 15-59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों के बीच कौशल, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये वर्ष 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) शुरू की थी । कौशल और रोजगार के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए सितंबर 2023 में, **पीएम-दक्ष पोर्टल-डीईपीडब्ल्यूडी** को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश किया गया था। इसमें दो मॉड्यूल शामिल हैं: **दिव्यांगजन कौशल विकास** - कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, और **दिव्यांगजन रोज़गार सेतु,** जो भारत में निजी कंपनियों में जियो-टैग किए गए रोजगार के अवसरों से दिव्यांगजनों को जोड़ता है।

उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए **नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन (एनडीएफडीसी)** रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है। एनडीएफडीसी की प्रमुख योजनाओं में **दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना (डीएसवाई),** आय सृजन, शिक्षा, या सहायक उपकरणों के लिए ₹ 50 लाख तक का ऋण प्रदान करना, और **विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (वीएमवाई)** शामिल है, जो स्वयं सहायता समूहों और साझेदार एजेंसियों के माध्यम से छोटे व्यवसायों के लिए ₹ 60,000 तक का ऋण प्रदान करती है।

इस विभाग के अधीन सांविधिक निकाय **राष्ट्रीय न्यास** ने ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी), बौद्धिक दिव्यांगता और बहु-दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए सात कल्याणकारी योजनाएं तैयार की हैं: **दिशा** (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल के लिए तैयारी), **विकास** (डे केयर), **दिशा-सह-विकास** (डे केयर), **समर्थ** (राहत देखभाल), **घरौंदा** (वयस्कों के लिए ग्रुप होम्स), **समर्थ-सह-घरौंदा** (आवासीय) और **निरमया** (स्वास्थ्य बीमा)।

(ख): विभाग दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता की योजना (एडिप स्कीम) कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत मोटर चालित तिपहिया सहित दिव्यांगजनों को टिकाऊ, उन्नत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

****